राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.12(17)वित्त/कर/2015-240 दिनांक 18 मार्च, 2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-45 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51-ए के अन्तर्गत "प्रवेश कर के लिये स्वैच्छिक प्रशमन योजना-2015" लागू की गई है, सदन की मेज पर रखेंगे।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्रीमती द्रोपती, सदस्य, विधान सभा, पीलीबंगा रेल्वे स्टेशन से हनुमानगढ़ जंक्शन रेल लाईन के बीच रावतसर रोड़ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज या अण्डर ब्रिज के निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, रामगंजमण्डी को जिला बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(3) श्रीमती कमसा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति बावड़ी में महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य, विधान सभा, बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण पार्ट-'स' में प्रस्तावित 200 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री बाबूसिंह, सदस्य, विधान सभा, तहसील-शेरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति अनाज, जोधपुर द्वारा शेष रही सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(6) श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान सभा, ग्राम-टाण्डा (बड़ावली) ब्लॉक सराड़ा में मॉडल स्कूल प्रारम्भ करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(7) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य, विधान सभा, उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गैस्ट हाऊस का निर्माण कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(8) श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा, निवाई कस्बे में सीवरेज लाईन डालने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

3. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-11)

"राजस्थान राज्य में झीलों का विकास और संरक्षण करने, और इन प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण का गठन करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	37	-	कृषि
2.	39	-	पशुपालन एवं चिकित्सा
3.	36	-	सहकारिता

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 20 मार्च, 2015

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल होगा।